परिक्षेत्र आजमगढ़

प्रेस नोट

दिनांक 26.09.2020

जनपद आजमगढ़

थाना रानी की सरायः बेलईसा मण्डी से व्यापारी का चोरी गये (03 लाख 47 हजार रुपये) बरामदगी के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक-24.06.2020 को श्री इन्द्रजीत मद्धेशिया पुत्र केदार नाथ, नगर पंचायत चिरैयाकोट, वार्ड नं0-11, जिला मऊ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि चिरैयाकोट प्राइवेट मण्डी में इन्द्रजीत मद्धेशिया उपरोक्त तीन भाईयों के साथ मिलकर सब्जी का कारोबार करते हैं व सब्जी की थोक खरीदारी हेतु बेलईसा मण्डी आजमगढ़ से करते हैं। आज सुबह इन्द्रजीत मद्धेशिया चार पहिया वाहन के साथ अपने ड्राईवर ओमप्रकाश जो 02 साल से उनके साथ कार्य करता है, उनके साथ 03.30 सुबह को 5 लाख रुपये लेकर चिरैयाकोट से चले थे। 04.15 बजे सुबह बेलईसा मण्डी पहुँचकर खरीदारी करने लगें पैसा ड्राईवर की देखरेख में गाड़ी के सीट के नीचे प्रतिदिन की तरह रखा जाता था। जब मण्डी में जिसकों पैसा देना होता था, उनको वही से दे दिया जाता था। इन्द्रजीत मेद्धशिया का ड्राईवर पीकअप को लाक करके शैलेन्द्र के साथ चाय पीने लगा। शैलेन्द्र के ड्राईवर दिनेश द्वारा इन्द्रजीत मद्धेशिया के पीकअप के बगल में ही अपनी गाड़ी को खड़ा किया गया था। जब पैसे देने के लिए इन्द्रजीत मद्धेशिया का ड्राईवर ओमप्रकाश अपनी पीकअप वाहन के सीट के नीचे देखा तो सारा पैसा गायब हो चुका था। वादी द्वारा सदेह होनें पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 141/20 धारा 379/411 भा.द.वि. बनाम 1. शैलेन्द्र यादव पुत्र कैलाश यादव सा0 सराय मंदराज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2. अजीत यादव पुत्र सुक्खु यादव सा0 ग्राम धनारबन थाना जहानागंज जनपद

आजमगढ़ 3. सुनील यादव उर्फ सोनू पुत्र श्रीराम यादव सा0 ग्राम मिठ्ठनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा संदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत अपर पुलिस अधीक्षक, नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय श्री रामायण सिंह के निर्देशन में आज दिनांक-26.09.2020 को उ0नि0 श्री अनुपम जायसवाल मय हमराह पुलिस फोर्स के साथ कस्बा रानी की सराय मे अपराध एवं अपराधियों के बारे में बातचीत कर रहें थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 141/20 धारा 379/411 भादवि में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त व चोरी गये पैसे सहित बेलईसा चौराहे के पास चाय की दुकान पर बैठे है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल मौके पर पहुँच कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी गये रुपये कुल 3,47,000 रुपये (तीन लाख सैंतालीस हजार रुपये) बरामद कर 03 नफर अभियुक्तो को समय लगभग 06.30 बजें सुबह को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

1- मु0अ0स0 141/20 धारा 379/411 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़ ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u> –

1. शैलेन्द्र यादव पुत्र कैलाश यादव सा0 सराय मंदराज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. अजीत यादव पुत्र सुक्खु यादव सा0 ग्राम धनारबन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
3. सुनिल यादव उर्फ सोनू पुत्र श्रीराम यादव सा0 ग्राम मिठ्ठनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

<u>बरामदगी-</u>

1- 03 अभियुक्तो के कब्जे से नगद कुल रुपये 347000/- (तीन लाख सैतालीस हजार रुपये)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1- उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह थाना-रानी की सराय, आजमगढ़ ।

2- उ0नि0 सुल्तान सिंह थाना-रानी की सराय, आजमगढ़ ।

थाना फूलपुरः 01 किलो 750 ग्राम अवैध गांजा के सात एक अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 26.09.20 को उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय हमराहियान ईगल मोबाईल के आरक्षीगण मुकेश शर्मा व रवि यादव द्वारा जगदीशपुर पुलिया तिराहे पर आपस में वांछित अभियुक्तों/वारण्टियो के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बातचीत कर रहें थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो जगदीशपुर का ही रहने वाला है तथा गाँजा का अवैध व्यापार भी करता है, काफी मात्रा में गाँजा लेकर मनरा की तरफ जा रहा है, जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर हमराही कर्मचारीगण के मुखबीर को साथ लेकर बताये स्थान की तरफ चल दिये। पुलिस टीम अपने अपने साधनो से जगदीशपुर पेट्रोल पम्प मनरा मोड़(तिराहे) के पास पहुची तो एक व्यक्ति जो अपने दाहिने हाथ में प्लास्टिक का झोला लिये मुख्य सड़क (फूलपुर–सरायमीर) से मनरा की तरफ जा रहा था, को मुखविर द्वारा इशारा कर दिखाया गया तथा मुखवीर हट बढ़ गया। पुलिस टीम द्वारा

पीछे से जाकर उसके पास, जो मुख्य सड़क से करीब 60-70 कदम दुर मनरा की तरफ पहुँचा था, को रोक लिया गया तथा झोले मे लिए सामान के बारे मे पूछा गया तो बिल्कुल घबड़ा गया तथा इधर-उधर की बाते करने लगा थोड़ा कडाई से पूछने पर अपना नाम ज्ञानू उर्फ ज्ञानप्रकाश यादव पुत्र शोभनाथ यादव, नि0 जगदीशपुर, थाना फूलपुर, आजमगढ उम्र करीब 35 वर्ष बताया तथा झोले मे लिए सामान को गाँजा बताया तथा बताया कि साहब इसी को बेचकर परिवार का जीविकोपार्जन करते है। उक्त झोले मे बरामद गाँजा व व्यक्ति को कारण बताकर आज दिनाँक 26.9.2020 को समय 9.15 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

ज्ञानू उर्फ ज्ञानप्रकाश यादव पुत्र शोभनाथ यादव नि0जगदीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी-

एक किलो 750 ग्राम अबैध गाँजा

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 234/20 धारा 8/20 NDPS ACT थाना फूलपुर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 32/19 धारा 8/22NDPS ACTभादवि थाना फूलपुर आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 51/19 धारा 8/20 NDPS ACTथाना फूलपुर, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 15/18धारा 174ए भादवि थाना फूलपुर , आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 59/16 धारा 392 भादवि थाना फूलपुर , आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 428/13 धारा ¾ गुण्डा अधि0 भादवि थाना फूलपुर , आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 निल/10धारा 41/411 भादवि थाना फूलपुर , आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 124/10धारा 3/25 आ0 एक्ट थाना फूलपुर , आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 1239/10 धारा 147,148,149, 307 भादवि 7 सीएलए एक्ट थाना फूलपुर , आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 593/09धारा 8/20 NDPS ACT भादवि थाना फूलपुर , आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 348/09 धारा 110 सीआरपीसी थाना अहरौला , आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0 218/08 धारा 8/20 NDPSACT थाना अहरौला , आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0 296/09धारा 110जी थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़।
13. मु0अ0सं0 424/06धारा 3(1) गैंग0 एक्ट थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़।

14. मु0अ0सं0 120/06 धारा 506,384,120बी , 392 भादवि 5 एक्सप्लोसिव एक्ट थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़।

15. मु0अ0सं0 222/06धारा 25ए एक्ट भादवि थाना फूलपुर , आजमगढ़।

16. मु0अ0सं0 221/06 धारा 8/22 NDPS ACT भादवि थाना फूलपुर , आजमगढ़।

17. मु0अ0सं0 392/05 धारा 3(1) गैंग0 एक्ट भादवि थाना फूलपुर , आजमगढ़।

18. मु0अ0सं0 370/05धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना फूलपुर , आजमगढ़।

19. मु0अ0सं0 263/05 धारा 392/411 भादवि थाना फूलपुर , आजमगढ़।

20. मु0अ0सं0 242/03 धारा 392/411 भादवि थाना फूलपुर , आजमगढ़।

21. निल/18 धारा 110ए सीआरपीसी थाना फूलपुर आजमगढ़

22. मु0अ0सं0 234/20 धारा 8/20 NDPS ACT थाना फूलपुर, आजमगढ़।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1. उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे थाना फूलपुर, आजमगढ़
2. का0 मुकेश शर्मा थाना फूलपुर , आजमगढ़
3. का0 रवि यादव थाना फूलपुर , आजमगढ़

थाना बिलरियागंजः पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाला अभियुक्त 01 अदद नाजायज तमंचा व 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़, सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़ द्वारा मय फोर्स के महा अभियान के तहत तलाश वान्छित अपराधी रोकथाम जुर्म जरायम के दृष्टिगत आज दिनांक 26.09.2020 को क्षेत्र में मामूर होकर जरिये मुखबिर खास की सूचना पर जगमलपुर मोड़ पर मौजूद थे कि जगमलपुर रोड की तरफ से आ रहे एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस वालो पर लक्ष्य बनाकर जान से मार डालने की नियत से फायर कर दिया। गोली उ0नि0 कन्हैयालाल मौर्य के कनपटी के पास से निकल गयी। पुलिस टीम एकाएक गोली बारी की घटना से घबराकर हिकमत अमली से सिखलाये गये तरीको से अपनी तथा अपने हमराहियों की जान बचाते हुए लुक छिपकर एक बारगी लगभग 10-15 कदम दौड़ाकर समय 05.10 बजे सुबह पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम अकबर पुत्र जहीर निवासी ग्राम खानकाह थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ बताया, जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा व एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना स्थानीय पर 1. मु0अ0सं0 151/2020 धारा 307 भादवि व 2. मु0अ0सं0 152/2020 धारा 3/25/27 आयुद्य अधि0 पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-</u>

अकबर पुत्र जहीर सा0 खानकाह, थाना बिलरियागंज आजमगढ़

<u>बरामदगीः</u> -

1. एक अदद नाजायज तमंचा
2. एक अदद खोखा कारतूस
3. एक अदद जिन्दा कारतूस

<u>पंजीकृत अभियोगः</u>

1. मु0अ0सं0 151/2020 धारा 307 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 152/2020 धारा 3/25/27 आयुद्य अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. SO संजय कुमार सिंह थानाध्यक्ष थाना बिलरियागंज आजमगढ़
2. उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्य थाना बिलरियागंज आजमगढ़
3. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव द्वितीय थाना बिलरियागंज आजमगढ़
4. का0 पंकज यादव, का0 संजीव कुमार सिंह, का0 रविप्रभाकर, म0का0 गुड़िया यादव थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

जनपद मऊ

950 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, मऊ, श्री घुले सुशील चंद्रभान के निर्देशन में अवैध तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26.09.20 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र में चेकिंग के दौरान कादीपुर के पास से उषा देवी पत्नी बहादुर प्रसाद निवासी कादीपुर थाना दोहरीघाट मऊ के कब्जे से 950 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्ता के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 435/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चलान न्यायालय किया गया।

80 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब के साथ 02 गिरफ्तार

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान दिनांक 26.09.2020 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा मुरादपुर के पास से राजकुमार पुत्र सुदामा यादव निवासी विसुनपुर देवरा थाना बरहज जनपद देवरिया के कब्जे से 50 लीटर अपमिश्रित शराब तथा बनाने के उपकरण यूरिया, फिटकरी, नौसादर बरामद किया गया, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा भैसही नदी पुल के पास से असलम पुत्र नगीना निवासी हमीदपुर नदवा सराय थाना घोसी के कब्जे से 30 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना संबंधित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम तथा धारा 272,273 भादवी का अभियोग पंजीकृत कर चलान न्यायालय किया गया।